

झारखंड सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग  
भूतत्व निदेशालय

सूचना

खनिज बाहुल्य झारखंड राज्य में Skill Development, कौशल विकास) अन्तर्गत राज्य स्वीकृत योजना के तहत झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से भू-गर्भ शास्त्र में पिछले शैक्षणिक सत्र (Last Academic Session) में स्नातकोत्तर (M.Sc. Geology) उत्तीर्ण स्वच्छ चरित्र के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण एवं भूतात्विक कार्य में सहयोग हेतु अधिक से अधिक 6 (छः) माह तक वजीफा (Stipend) पर रखा जाना है।

इच्छुक विद्यार्थी अपना आवेदन विहित प्रपत्र में (फोटो सहित) निदेशक, भूतत्व, खान एवं भूतत्व विभाग, भूतत्व निदेशालय, अभियंत्रण छात्रावास, द्वितीय तल, धुर्वा, राँची - 834004 को अपने विश्वविद्यालय जहाँ से स्नातकोत्तर (M.Sc. Geology) उत्तीर्ण हैं के विभागाध्यक्ष से अग्रसारित कराते हुए बंद लिफाफा में दिनांक 30.06.2026 तक दे सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अर्हता विहित प्रपत्र विभागीय Website:- <http://www.jharkhand.gov.in> पर उपलब्ध है।

ह0/-  
निदेशक, भूतत्व

पासपोर्ट साईज का  
विभागाध्यक्ष/प्राध्यापक  
/रीडर/व्याख्याता  
द्वारा अभिप्रमाणित प्रति

1. आवेदक का नाम :-
2. जन्म तिथि :-
3. उम्र (दिनांक 01.04.2026 को वर्ष एवं महीना) :-
4. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) :-
5. पिता/पति का नाम :-
6. माता का नाम :-
7. राष्ट्रियता :-
8. पता :-
  - (I) स्थाई पता :-
  - (ii) पत्राचार पता :-
  - (iii) दूरभाष/मोबाईल नं० :-
  - (iv) e-mail ID :-
9. शैक्षणिक विवरणी

क्रमांक	स्तर	बोर्ड/विश्वविद्यालय	सत्र	प्राप्तांक	ग्रेड/श्रेणी

10. यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसकी विवरणी (प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
11. आवेदक जिस संस्थान से अंतिम अध्ययन किया है उसके प्रधान द्वारा निर्गत चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति
12. यदि आरक्षण कोटि के हैं तो उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-